उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-122/17/31अ0मु0स0/92-2-17-10(जॉच)/16

लखनऊ:: दिनांक:: 21 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद चित्रकूट में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्राम कोपा विकास खण्ड-मऊ (चित्रकूट) में के0सी0 ड्रेन व सी0सी0 रोड के निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट की जांच आख्या दिनांक 06.09.2016 के अनुसार रू0 2,56,333.00 की शासकीय क्षति हेतु जनपद चित्रकूट में तैनाती के दौरान की गयी अनियमितताओं के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2017/09/92-2-2017-10जांच/2016, दिनांक 04.01.2017 द्वारा श्री बालकृष्ण, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ. को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित कर निलम्बन अवधि में मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी क्षेत्र), ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ कायार्लय से सम्बद्ध किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-110/92-2-2017-10(जांच)/16, दिनांक 01.02.2017 द्वारा श्री बालकृष्ण के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी से नियमानुसार जांच कर जांच आख्या 01 माह मे उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-गोरखपुर की जांच आख्या उनके पत्र दिनांक 19.04.2017 द्वारा शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 09.05.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन/अभिकथन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 22.05.2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र दिनांक 16.06.2017 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 07.07.2017 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद से सहमति उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जो अभी तक अप्राप्त है।

4- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री बालकृष्ण, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ. को तात्कालिक प्रभाव से शासकीय कार्यहित में बहाल किया जाता है। श्री बालकृष्ण के विरूद्ध संस्थित प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- श्री बालकृष्ण, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-122 / 2017 / 31अ0मु0स0(1) / 92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री बालकृष्ण, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड- अलीगढ. द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।
3- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।